निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 10 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय क्षेत्रीय मुख्य अ भयन्ता,स्तर-1, लोक निर्माण वभाग देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय क्षेत्रीय मुख्य अ भयन्ता,स्तर-1, लोक निर्माण वभाग देहरादून की प्रथम लेखा परीक्षा है। जिसमे माह अक्तूबर 2016 से मई 2017 तक के लेखा अ भलेखों का निरीक्षण प्रतिवेदन श्री अनिल कुमार शर्मा, श्री राजेश कुमार सन्हा, सहायक लेखा परीक्षा अ धकारियों एवं श्री जयंत प्रकाश, वरिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 19 जून 2017 से 24 जून 2017 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव, लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्णका लक पर्यवेक्षण दिनांक 19 जून 2017 से 24 जून 2017 तक में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा है

2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः जिला देहरादून,एवं हरिद्वार

(ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+)`	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2015-16		-	-	-	-	-	-	-
2016-17	-	-	72.33	62.00	-	-	10.33	-
2017-18(5/2017)	-	-	60.91	30.71				

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः शून्य

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई **C** श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव

↓

प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागाध्यक्ष

↓

मुख्य अ भयन्ता (स्तर-I), मुख्यालय, देहरादून

↓

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय क्षेत्रीय मुख्य अ भयन्ता,स्तर-1, लोक निर्माण वभाग देहरादून के माह 8/2016 से 5/2017 तक कए गए लेन-देन की लेखा परीक्षा की गयी थी और अ धक व्यय वाले माह तथा अ धक व्यय वाले पूर्ण कए गए कार्यो को आच्छादित कया गया। आहरण एवं वतरण अ धकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय क्षेत्रीय मुख्य अ भयन्ता,स्तर-1, लोक निर्माण वभाग देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह जनवरी 2017को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा .13, लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अ भयंता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में कया निरीक्षण। लागू नहीं

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवा र्षक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वा र्षक लेखाबन्दी --------तक की गई। लागू नहीं

5. फार्म 51: माह अक्तूबर 2016 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रे षत कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द् वतीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम लागू नहीं

भाग द् वतीय

खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह अक्तूबर 2016 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम -लागू नहीं

(ख) सामग्री क्रय -

(ग) नगद परिशोधन -

(घ) निक्षेप -

(ङ) भण्डार -

भाग-II 'अ'

.....शून्य.....

भाग-II 'ब'

प्रस्तर 1- प्रा व धकी स्वीकृति प्रदान करने में देरी।

मुख्य अ भयन्ता, अपने प्रा धकार के अन्तर्गत, अधीक्षण अ भयन्ता के अनुमोदन के पश्चात खण्ड द्वारा प्रे षत आगणन पर अपनी प्रा व धकी स्वीकृति प्रदान करते है।

कार्यालय मुख्य अ भयन्ता (स्तर-1) क्षेत्रीय द्वारा संधारित की जा रही प्रा व धकी स्वीकृति पंजिका के अनुसार कार्यालय स्थापना से मार्च 2017 तक 136 कार्यों की प्रा व धकी स्वीकृति मुख्य अ भयन्ता द्वारा प्रदान की गई थी अ भलेखों की जांच में यह पाया गया था क 136 प्राक्कलनों में से 19 प्राक्कलनों की प्रा व धकी स्वीकृति 32 से 229 दिनों के बाद प्रदान की गई थी। जो क कार्य सम्पादन की प्र क्रया को कमजोर करती है। यद्य प लेखा-परीक्षा पुछताछ में यह बताया गया था क प्रा व धकी स्वीकृति प्रदान करने की कोई अव ध निर्धारित नहीं है।

इस ओर इं गत कए जाने पर मुख्य अ भयन्ता (स्तर-1) के द्वारा अवगत कराया गया क प्र व धकी स्वीकृति प्रदान करने में देरी हुई थी। पुनः पुछताछ भी मौ खक स्तर पर की गई थी।

कार्यालय का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क प्रा व धकी स्वीकृति में देरी के कोई ल खत साक्ष्य नहीं थे।

STAN

प्रस्तर 1- अनु चत रूप से तीन कार्यों का एक ही अनुबंध से सम्पादित कराया जाना।

कार्यालय मुख्य अ भयन्ता स्तर-1 (क्षेत्रीय) लोक निर्माण वभाग देहरादून के संधारित की जा रही वचलन संबं धत सं चका की जांच में पाया गया क सेतु निर्माण संबं धत तीन कार्य का सम्पादन प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण वभाग, हरिद्वार के अर्धकुम्भ मेला 2016 के अन्तर्गत कया जा रहा था जिनका ववरण निम्नवत है।

क्र.स.	कार्य का नाम	वत्तीय स्वीकृति		प्रा व धकी स्वीकृति
1.	मायापुर **Escape channel** एवं गंगा नदी दक्षद्वीप एवं बैरागी कैम्प को जोड़ने हेतु तथा बैरागी कैम्प से गौरीशंकर द्वीप को जोड़ने हेतु स्टील गर्डर पाइप सेतु का निर्माण।	1190.42 लाख	जनवरी 2015	1190.42 लाख (फरवरी 2015)
2.	मायापुर स्केप चैनल के ऊपर वश्व कल्याण आश्रम के सामने अर्द्ध अस्थायी स्टील गर्डर 1.50 लेन सेतु का निर्माण	144.86 लाख	जनवरी 2015	144.86 लाख (फरवरी 2015)
3.	जगजीतपुर में मायापुर स्कैप चैनल के ऊपर अर्द्ध स्थायी स्टील गर्डर 1.50 लेन सेतु का निर्माण	117.57 लाख	जनवरी 2015	117.57 लाख (फरवरी 2015)
	कुल	1452.45 लाख		

उपरोक्त तीनों सेतु निर्माण के लए एक ही अनुबंध का गठन कया गया जिसकी अनुबंध लागत 883.11 लाख थी (अनुबंध सं. 03**/SE/Civil Circle/2015-16 dated 25.05.2015)**। इस संबंध में यह ज्ञातव्य है क एक से अ धक कार्य हेतु एक अनुबंध का गठन तभी कया जा सकता है जब सभी कार्य का एक ही प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति हो जब क प्रश्नगत तीनों कार्यों में तीन अलग-अलग प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी।

पुनः अ भलेखों से निम्न ल खत बिन्दु भी परिल क्षत हुई थी।

1. मेला अ धकारी के पत्रांक 270/अस्थायी सेतु दिनांक 01.05.2015 के आलोक में 400 मीटर **Span** के स्थान पर 200 मीटर के लम्बाई में सेतु निर्माण (क्रम स.1) के लए अनुबंध गठित कया गया था जब क वत्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति 400 मीटर के लए प्रदान की गई थी।

परन्तु इसके पश्चात पु लस उपमहानिरीक्षक, अर्द्ध कुम्भ मेला के निर्देश पर पूर्व स्वीकृत 400 मीटर सेतु के निर्माण का निर्णय लया गया जिसके कारण 477.57 लाख की रा श की वचलन की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. पूर्व पृष्ठ के क्र.स.-2 एवं 3 पर व र्णत सेतु जो दक्ष द्वीप को सती द्वीप से जोड़ने हेतु **Pile** सेतु के स्थान पर **Crate** सेतु बनाये जाने का निर्णय लया गया था जब क वत्तीय स्वीकृति **Pile** सेतु का निर्माण कए जाने हेतु थी।

इन तीनों स्वीकृतियों के अन्दर स्वीकृत सेतुओं के निर्माण हेतु गठित अनुबंध को ही **Work** के रूप में परिभा षत करते हुए एक अनुबंध का गठन कया गया जब क इसके लए तीन अनुबध का गठन कया जाना चाहिए था। पुनः अनुबंध बनाते समय स्वीकृति के अनुरूप ना अनुबंध का गठन नहीं कया गया था और ना ही शेष दो सेतु (पूर्व पृष्ठ 2 एवं 3 पर व र्णत) का निर्माण कया गया था।

इन तथ्यों को इं गत कए जाने पर मुख्य अ भयन्ता क्षेत्रीय द्वारा बतलाया गया क समस्त कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण करने का लक्ष्य था जिसके कारण तीनों कार्य की व्यवस्था एक अनुबंध के अन्तर्गत कार्य हित में की गई थी।

कार्यालय का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क तीनों कार्य को एक ही अनुबंध के अन्तर्गत सम्पादित कया जाना उ चत नहीं था।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

प्रतिवेदन संख्या	अनिस्तारित प्रस्तर			
	भाग-2अ	कुल	भाग-2ब	कुल
	प्रथम लेखा परीक्षा है			

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	प्रथम लेखा परीक्षा है।			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य:- ऐसा कोई कार्य अवलो कत नहीं हुआ था।

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय क्षेत्रीय मुख्य अ भयन्ता,स्तर-1, लोक निर्माण वभाग देहरादून तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

   (i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

   (i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री के.के. जैन	मुख्य अ भयन्ता स्तर-1 28/02/2015 से 30/09/2016
(ii)	श्री आर.सी. पुरोहित	मुख्य अ भयन्ता स्तर-1 30/09/2016 से 28/10/2016
(iii)	श्री राजेन्द्र गोयल	प्रभारी मुख्य अ भयन्ता स्तर-II 28/10/2016 से अब तक।

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

   1. लागू नहीं

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय क्षेत्रीय मुख्य अ भयन्ता,स्तर-1, लोक निर्माण वभाग देहरादून को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (संबं धत क्षेत्र का नाम) को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी

आ र्थक क्षेत्र-2